

एम/एस. राजस्थान प्रेम कृष्ण गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी.

बनाम

क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, नई दिल्ली और आदि।

20 मई, 1996

[न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी एवं न्यायमूर्ति के. एस. परिपूर्णन]

*श्रम कानून: कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952: व्यावसायिक प्रतिष्ठान-दो ईकाइयाँ-क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के गहन जांच के बाद पाया कि दोनों संस्थाओं के बीच उद्देश्य की एकता थी क्योंकि उनके व्यवसाय का स्थान, प्रबंधन और टेलीफोन नंबर समान थे-तदुसार आर. पी. एफ. आयुक्त ने ई. पी. एफ. अधिनियम के तहत दोनों संस्थाओं को एक साथ एक ही प्रतिष्ठान के रूप में जोड़ने का आदेश दिया है। आर.पी.एफ. आयुक्त का पता लगाना अनिवार्य रूप से एक तथ्य था-इसलिए, इस तरह के निष्कर्ष के खिलाफ किसी भी कानूनी प्रतिबंध के अभाव में, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।*

अपीलकर्ता-गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का गठन दस भागीदारों को मिलाकर किया गया था। इससे पहले, तीसरे प्रतिवादी-ट्रांसपोर्ट कंपनी 13 व्यक्तियों से बनी थी, जिसमें से 10 ने "गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी" बनाई थी। उनके व्यवसाय का स्थान, पता, टेलीफोन नं० और प्रबंधन समान थे। इससे, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत कार्य करने वाले निरीक्षणालय द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण, रोजगार, वित्त और सामान्य उद्देश्य दोनों ईकाइयों को अधिनियम के तहत एक ही प्रतिष्ठान के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि वे एक एकीकृत समूह का गठन करते हैं।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, गहन जांच के बाद, दोनों संस्थाओं को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया। अधिनियम की धारा 19 के तहत अपीलकर्ता का आवेदन केन्द्र सरकार द्वारा खारिज किया गया था। केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक रूप से खारिज कर दिया था। पीडित होने के कारण, अपीलकर्ता वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया:

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक गणना में उद्देश्य की एकता है क्योंकि व्यवसाय का स्थान समान है, प्रबंधन समान है, लेटरहेड पर समान टेलीफोन नंबर और तीसरे प्रतिवादी के 13 भागीदारों में से अपीलकर्ता के 10 भागीदार समान हैं। दोनों संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले ट्रक भागीदारों के स्वामित्व में है और उन्हें ईकाइयों के माध्यम से किराये पर लिये जा रहे हैं। दोनों संस्थाओं द्वारा नियुक्त संबंधित कर्मचारी को जब एक साथ जोड़ा जाता है, तो वे एकीकृत संस्थाओं को कर्मचारी भविष्य एवं निधि के दायरे में

लाते हैं। निष्कर्ष भी यही है। अपीलकर्ता की ओर से इस बारे में कुछ भी सुझाव नहीं दिया जा सका कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त क्या उजागर नहीं कर सके और दो स्पष्टताओं की बाहरी रेखाओं के बीच की रेखाओं में क्यों नहीं पढ़ सके। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई कानूनी बाधा नहीं बताई जा सकी है कि क्यों क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग के विचारों को पलट दिया जाए जैसा कि केंद्र सरकार ने पुष्ट किया है।

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील संख्या 1980 की 4980

दिल्ली उच्च न्यायालय के 28.1.83 दिनांकित निर्णय और आदेश से 1983के.सी.डब्ल्यू.सं184 में।

अपीलकर्ता के लिए एच.के.पुरी।

प्रतिवादियों के लिए तारा चंद शर्मा और सी.वी. सुब्बा राव।

प्रतिवादी संख्या 3 के लिए एम.सी. ढीगरा।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति पुंछी** द्वारा सुनाया गया, विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक रिट याचिका को प्रारंभिक रूप से खारिज करने के खिलाफ है।

हमारे समक्ष अपीलकर्ता मेसर्स राजस्थान प्रेम कृष्ण गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी (इसके बाद इसे संक्षेप में गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी कहा जायेगा)। इसके संबंधित पक्ष तीसरा प्रतिवादी है। राजस्थान प्रेम कृष्ण ट्रांसपोर्ट कंपनी— (इसके बाद संक्षेप में ट्रांसपोर्ट कंपनी के रूप में संदर्भित)। अपीलकर्ता कार्यवाही के खिलाफ व्यथित है कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत स्थापित प्राधिकारियों के आदेश एवं कार्यवाहियों में अपीलकर्ता और तीसरा प्रतिवादी एक और एक ही ईकाई के रूप में, इन दोनों के स्पष्ट रूप से अलग अस्तित्व को कृत्रिम और गैर-अस्तित्व के रूप में मानते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों कंपनियाँ भागीदारी से संबंधित है। अपीलकर्ता के अनुसार, ' गुड्स परिवहन कंपनी' का गठन 10 भागीदारों से मिलकर दिनांक 16.4.1976 को हुआ था। इससे पहले, तीसरा प्रतिवादी, यानी 'परिवहन कंपनी' 13 व्यक्तियों से बना था: जिनमें से 10 'गुड्स परिवहन कंपनी' का गठन करते हैं। उनके व्यवसाय का स्थान और पता आम है, फायर ब्रिगेड के पीछे, एस. पी. मुखर्जीक मार्ग, दिल्ली। उनके टेलीफोन नंबर भी समान हैं। दोनों का प्रबंधन भी समान था। इससे, उपरोक्त अधिनियम के तहत कार्य करने वाले निरीक्षणालय द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि स्वामित्व, प्रबंधन की एकता थी, पर्यवेक्षण और नियंत्रण, रोजगार, वित्त और सामान्य उद्देश्य दोनों ईकाईयों को अधिनियम के तहत एक ही प्रतिष्ठान के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि वे एक एकीकृत समूह का गठन करते हैं।

यह विवाद से परे है कि यदि दो कथित संस्थाओं को अलग-अलग माना जाता है, तो अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। लेकिन, यदि उन्हें एक माना जाता है, तो अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। अन्यथा

इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि उचित तथ्य स्थापित होने पर, अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दो स्पष्ट रूप से अलग-अलग संस्थाओं को एक में जोड़ा जा सकता है और एक चालाक प्रबंधन द्वारा अपनाई गई एक धोखाधड़ी उपकरण में विस्फोट हो सकता है और मामलों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में रखा जा सकता है

अपीलकर्ता और तीसरे प्रतिवादी को यह बताने के लिए अपेक्षित नोटिस प्राप्त हुआ कि अधिनियम के प्रावधानों को उन दोनों को एक मानते हुए क्यों न लागू किया जाए। अपीलकर्ता और तीसरे प्रतिवादी ने कारण बताया। उनका मुख्य बचाव यह था कि आयकर अधिनियम के प्रायोजन के लिए इन संस्थाओं को अलग माना जा रहा था और इन संस्थाओं के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा था और इस तथ्य को इन संस्थाओं को अलग और एकल रखने के लिए भाग्य को नियंत्रित करना चाहिए। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने गहन जांच के बाद 31.3.1978 को आदेश दिया कि, 1.6.1976 से दोनों संस्थाओं को एक साथ जोड़ दिया जाए। अधिनियम की धारा 19 के तहत अपीलकर्ता का केन्द्र को आवेदन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार द्वारा 7.12.1982 को खारिज कर दिया गया था। केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ रिट याचिका को प्रारंभिक रूप से खारिज कर दिया गया था। इस तरह से अपीलकर्ता हमारे सामने है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक गणना में उद्देश्य की एकता है क्योंकि व्यवसाय का स्थान समान है, प्रबंधन समान है, लेटरहेड पर समान टेलीफोन नंबर और तीसरे प्रतिवादी के 13 भागीदारों में से अपीलकर्ता के 10 भागीदार समान है। दोनों संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले ट्रक भागीदारों के स्वामित्व में है और उन्हें ईकाइयों के माध्यम से किराये पर लिये जा रहे हैं। दोनों संस्थाओं द्वारा नियुक्त संबंधित कर्मचारी को जब एक साथ जोड़ा जाता है, तो वे एकीकृत संस्थाओं को कर्मचारी भविष्य एवं निधि के दायरे में लाते हैं। निष्कर्ष भी यही है। अपीलकर्ता की ओर से इस बारे में कुछ भी सुझाव नहीं दिया जा सका कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त क्या उजागर नहीं कर सके और दो स्पष्टताओं की बाहरी रेखाओं के बीच की रेखाओं में क्या नहीं पढ़ सके। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई कानूनी बाधा नहीं बताई जा सकी है कि क्यों क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग के विचारों को पलट दिया जाए जैसा कि केंद्र सरकार ने पुष्ट किया है।

उपरोक्त कारणों से, यह अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है, लेकिन हर्जे के बारे में कोई आदेश किये बिना।

**अपील खारिज**

\*\*\*

अनुवादकर्ता-: (रोहित सोनी)

न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय-तरबगंज, जिला-गोंडा